Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033, E-mail ID: fo@rtu.ac.in

19वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण (प्राधिकार : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 25)		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय सभा कक्ष
दिनांक	:	01.10.2019, मंगलवार
समय	:	सुबह 11.30 बजे

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID: fo@rtu.ac.in

एफ(3) / वित्त एवं लेखा / 19th FC / 275 / 2019–20 / 1666-74 दिनांक : 4.10.19

....

....

वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा

विषय : वित्त समिति की 19वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की 19वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.10.2019 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय में आयोजित की गयी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति के अनुमोदन उपरांत संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव (वित्त समिति)
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033, e-mail ID: fo@rtu.ac.in

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची

1	*प्रो. आर.ए. गुप्ता* कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	*अध्यक्ष*
2	*श्रीमति सुनीता डागा, (R.A.S.)* कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
3	*श्री टी.पी. मीणा (R.Ac.S.)* वित्तीय सलाहकार, सी.ए.डी. कोटा प्रतिनिधि, वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	*सदस्य*
4	*प्रो. ए.के. द्विवेदी* परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	*श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, (R.Ac.S.)* वित्त नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य–सचिव

विशेष आमंत्रिती : प्रो. अनिल के. माथुर (डीन फेकल्टी अफेयर्स), प्रो. विवेक पाण्डे (डीन अकादमिक), श्री साकेत कुमार माथुर (सम्पदा अधिकारी)

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033, e-mail ID: fo@rtu.ac.in

कार्यवाही विवरण

(19वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.10.2019)

वि.स.क्र. 19.1	:	**18वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण :– (वित्त नियंत्रक)**
		वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 27.03.2019 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. नीलिमा सिंह, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 18वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक एफ/(3)लेखा/18वीं वित्त समिति/268/2018–19/183 दिनांक 24.04.2019 द्वारा प्रसारित किया गया, **परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 18 से 59** पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।**
वि.स.क्र. 19.2	:	**18वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन :– (वित्त नियंत्रक)**
		18वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 में लिये गये निर्णयों का प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन अपेक्षित होने से, अनुपालना प्रतिवेदन आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ध्यातव्य है कि विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2018–19 का 18वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 18.3 पर अनुमोदन किया गया है, जिसे प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में स्वीकृती हेतु रखा जा रहा है। तथापि माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 12 (6) के अन्तर्गत अनुमोदन किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय के वर्ष 2019–20 के निजी आय से आवश्यक व्ययों यथा वेतन भत्तें, कार्यालय व्यय, परीक्षा व्यय इत्यादि का भुगतान उक्त बजट प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। **समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।**
संकल्प	:	**समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई।**

वि.स.क्र. 19.3	:	**विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट्स में बी.टेक पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फेकल्टी की सेवाएं फिक्स्ड पारिश्रमिक/मानदेय राशि रू. 25000/— प्रतिमाह दर पर लिये जाने के संबंध में। (वित्त नियत्रंक)**
		विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 12.2 पर बी.टेक पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु गेस्ट फेकल्टी के मानदेय की दरों का अनुमोदन किया गया था। **परिशिष्ट—02 पृष्ठ संख्या 60 से 61** शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.01(3) शिक्षा—04/2010 दिनांक 26.05.2014 से राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरूद्व यू. जी.सी. योग्यताधारी तथा सेवानिवृत व्याख्याताओं को गेस्ट फेकल्टी के रूप में रखे जाने पर 60 मिनट के कालांश हेतु प्रति कालांश राशि रू. 500/— (अन्य कोई प्रभार देय नहीं) की मानदेय दरें स्वीकृत की गई है, जिसके अनुसार कुल मानदेय राशि रू. 25000/— प्रतिमाह से अधिक देय नहीं होगा। **पृष्ठ संख्या 62** उक्त आदेश के कम में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट के विभिन्न विभागों में स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्व आवश्यक गेस्ट फेकल्टी की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार लिये जाने की स्वीकृति वित्त नियत्रंक द्वारा आदेश कमांक 1109—15 दिनांक 02.08.2019 से जारी की गई। **पृष्ठ संख्या 63** डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा यह अवगत कराया कि गेस्ट फेकल्टी को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लगभग 16 से 18 कालांश प्रति सप्ताह का टिचिंग लोड दिया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियों यथा मिड—टर्म टेस्ट, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा के दौरान निरीक्षण कार्य, वेब पोर्टल पर छात्रों के मार्क्स को अपलोड करना, सेमिनार, डेजरटेशन इत्यादि के लिए भी गेस्ट फेकल्टी की आवश्यकता है, इसलिए गेस्ट फेकल्टी की सेवाएं प्रति कालांश के स्थान पर फुल—टाईम रूप से हायर किया जाना अति—आवश्यक है। तद्नुसार, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत रिक्त पदो के विरूद्व गेस्ट फेकल्टी की अस्थाई सेवाएं फिक्सड पारिश्रमिक/मानदेय राशि रू. 25000/— प्रतिमाह की दर पर लिए जाने की संशोधित स्वीकृति निर्धारित शर्तो अधीन आदेश कमांक 1225—39 दिनांक 19.08.2019 से जारी की गई। **पृष्ठ संख्या 64** उक्त आदेश समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा अवलोकन कर शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदो के विरूद्व गेस्ट फेकल्टी की अस्थाई सेवाएं फिक्सड पारिश्रमिक/मानदेय राशि रू. 25000/— प्रतिमाह की दर पर लिए जाने हेतु जारी पूर्वोक्त आदेश कमांक 1225—39 दिनांक 19.08.2019 की पुष्टि की गई।**

वि.स.क्र. 19.4	:	**फेकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम बजट हेड (ओबजेक्ट कोड 30.2) के बजट उपयोगकर्ता को प्रतिस्थापित किये जाने तथा अतिरिक्त राशि रू. 10.00 लाख का पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स)**
		18वीं वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 18.3 पर वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान के अन्तर्गत फेकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम मद में राशि रू. 5.00 लाख व्यय किये जाने का बजट प्रावधान रखा गया है। प्रति–कुलपति को उक्त मद का बजट उपयोगकर्ता अनुमोदित किया गया था परन्तु वर्तमान में प्रति–कुलपति का पद रिक्त होने से उक्त बजट का उपयोग आदिनांक नहीं हुआ है। डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली दोनों के बीच विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षकों के शैक्षणिक विकास हेतु शार्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करने के परिपेक्ष्य में दिनांक 06.12.2018 को एक एम.ओ.यू. साइन किया गया है **परिशिष्ट–03 पृष्ठ संख्या 65 से 72**। इस एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जायेंगे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अधिकतम बजट राशि रू. 3.00 लाख निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय एवं ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा बराबर वहन किया जावेगा। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 10 शार्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए राशि रू. 15.00 लाख विश्वविद्यालय कोष मे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा फेकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम मद में आवंटित उपरोक्त बजट प्रावधान को प्रति–कुलपति का पद रिक्त होने से डीन फेकल्टी अफेयर्स के नाम प्रतिस्थापित किए जाने तथा अतिरिक्त राशि रू. 10.00 लाख का पूर्वोक्त मद में पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, ताकि पूर्वोक्त एम.ओ.यू. के अनुसार वांछित ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाए जा सके। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर फेकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम बजट मद में आवंटित बजट अनुमान के लिये प्रति–कुलपति के स्थान पर डीन फेकल्टी अफेयर्स को बजट उपयोगकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।** **साथ ही, डीन फेकल्टी अफेयर्स को उन्हें आवंटित अन्य किसी बजट मद (आवर्ती व्यय) में उपलब्ध बचत राशि में से अतिरिक्त राशि रू. 10.00 लाख का फेकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम बजट मद में पुनर्विनियोजन किये जाने के प्रस्ताव वित्त नियंत्रक के माध्यम से कुलपति महोदय को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।**

		इसके अतिरिक्त निम्नांकित बजट मदों के लिये प्रति–कुलपति के स्थान पर कुलसचिव को बजट उपयोगकर्ता बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

Object Code	Object Head	Revised Budget User
10	**PUBLICATION EXPENSES:-** News Letter & Annual Report	Registrar
30.4	**FUNCTION AND EXHIBITIONS EXPENSES:-** University Fest	Registrar

वि.स.क्र. 19.5	**:**	**विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों एवं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट्स के लिए अतिरिक्त मशीन विद् मेन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं संविदा एजेन्सी के माध्यम से लिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। (कुलसचिव)**
		वित्त विभाग (जी.एण्डटी.) के परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 से समस्त प्रकार के मानव संसाधनों (ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने सहित की सेवाओं के उपापन के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालिना में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत संविदा एजेन्सी मेसर्स सोल्यूशन एण्ड सोल्यूशन, जयपुर के माध्यम से वर्तमान में निम्नांकित मानव संसाधनों की सेवाएं स्वीकृत की गई हैं:–

क. सं	मानव संसाधन की प्रकृति	स्वीकृत संख्या	स्वीकृत दर (पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस चार्ज एवं जी.एस.टी. सहित	अनुमानित कुल खर्च प्रतिमाह (राशि रू.)
1.	मेन विद् मशीन	76	10914.00	829464.00
2.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	38	8132.00	309016.00
	कुल योग			**1138480.00**

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कर्मचारियों के कुल 80 पद तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में कुल 61 पद रिक्त हैं। जिसके समक्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/विभागों के कुशल संचालन हेतु वांछित मानव संसाधनों की सेवाएं उपरोक्तानुसार संविदा एजेन्सी के माध्यम से ली जा रही है। कुलसचिव द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार नियमित कार्मिकों के समय–समय पर सेवानिवृत होने के कारण विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों/यूनिट इंचार्ज (चीफ वार्डन, चीफ प्रोक्टर) द्वारा उनके कार्यालयों में अतिरिक्त मेन विद् मशीन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक लगाये जाने की मांग की जा रही है। साथ ही, आगामी माह जनवरी 2020 तक 3 कार्मिकों के सेवानिवृत होने से लगभग 3 पद ओर रिक्त होने अपेक्षित हैं।

वित्त समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.11 पर यह निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में संविदा सेवाओं की विद्यमान संख्या में वित्त समिति/प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर कोई वृद्धि अनुमत नहीं की जावे।

अतः कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों/यूनिट इंचार्ज की तरफ से मानव संसाधनों की अतिरिक्त मांग एवं आगामी माह में

		कार्मिकों के सेवानिवृत होने से रिक्त होने वाले पदों को देखते हुए वर्तमान में मेन विद् मशीन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की स्वीकृत संख्या को क्रमशः 85 तथा 50 की सीमा तक वृद्वि कर अधिकृत संविदा एजेन्सी के माध्यम से उपापन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। **परिशिष्ट–04 पृष्ठ संख्या 73 से 77** अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरांत निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–** **1. विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों के विरूद्व रिक्त पदों की संख्या (59) के समक्ष वर्तमान में अधिकृत संविदा एजेन्सी के माध्यम से हायर एवं कार्यरत कुल मेन विद् मशीन (76) तथा वांछित अतिरिक्त मेन विद् मशीन की सेवाएं हायर किये जाने हेतु राज्य सरकार को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कुलसचिव के माध्यम से प्रेषित किये जावें।** **2. विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में प्रयोगशाला अनुचर, चपरासी एवं जलधारी के स्वीकृत पदों के विरूद्व रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 15, 28 एवं 2 (कुल 45) के समक्ष वर्तमान में स्वीकृत संख्या (38) के अतिरिक्त आवश्यक चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं रिक्त पदों की सीमा के अन्तर्गत संविदा एजेन्सी के माध्यम से स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर हायर किया जावे।** **3. साथ ही, ड्राईवर, टेक्नीशियन एवं अन्य रिक्त पदों के विरूद्व वांछित कार्मिकों की आवश्यकता/उपादेयता का परीक्षण कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत संविदा एजेन्सी के माध्यम से हायर करने हेतु कुलसचिव द्वारा खुली निविदा जारी की जावे।**
वि.स.क्र. 19.6	:	**विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर आन्तरिक उड़न दस्ते की नियुक्ति करने एवं उनके पारिश्रमिक/मानदेय की दरों की स्वीकृति के संबंध में। (परीक्षा नियंत्रक)**
		परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में परीक्षा केन्द्रों पर आन्तरिक उड़न दस्ते लगाये जाने का कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर समय–समय पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति निम्नानुसार आन्तरिक उड़न दस्ते लगाये जाने तथा उनके लिए पारिश्रमिक/मानदेय दरों को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–05 पृष्ठ संख्या 78 से 89** पर प्रस्तुत किये गयेः–

		Internal flying squad for frisking of all examinees at entry point & examination halls, watching the campus & corridors for preventing the use of unfairmeans. It should be appointed by the Centre Superintendent according to the following norms :-

S.No.	No. of Registered Examinees at the Examination Centre in a Session	No. of Persons in Internal Flying Squad	Proposed Remuneration Ra each session (equal to Roo Superintendent)
1	Upto 100 Registered Examinees	Two Person	Rs. 150/- Each Person
2	More than 100 but equal to 300 Registered Examinees	Three Person	Rs. 150/- Each Person
3	More than 300 but equal to 500 Registered Examinees	Four Person	Rs. 150/- Each Person
4	More than 500 Registered Examinees	Five Person	Rs. 150/- Each Person

Note: - The remuneration rate of Internal Flying Squad member shall always be equal to rate of Room Superintendent.

उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय की सत्र 2019–20 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं से लागु किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा परीक्षा नियंत्रक को आन्तरिक उडन दस्ते के कार्यो/दायित्वों का निर्धारण करने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त प्रस्ताव के अंतर्गत होने वाले व्ययों को परीक्षा संचालन मद (ऑब्जेक्ट कोड 8.3) से चार्ज किया जावेगा।**
वि.स.क्र. 19.7	:	**परीक्षा विभाग द्वारा छात्रों को समय–समय पर जारी किये जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के लिये प्रोसेसिंग शुल्क लिये जाकर ऑनलाईन आवेदन की प्रकिया लागू करने के संबंध में। (परीक्षा नियंत्रक)**
		वर्तमान में परीक्षा विभाग द्वारा छात्रों को समय–समय विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जारी करने हेतु ऑफ–लाईन आवेदन के साथ वांछित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चालान के माध्यम से जमा किये जाते हैं। समस्त प्रकार के आवेदन प्रपत्र के निर्धारित प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये हुए हैं, जिनका छात्रों द्वारा प्रिंट लेकर सम्बन्धित शुल्क के साथ हार्डकॉपी में परीक्षा विभाग को डाक/व्यक्तिगत रूप से जमा कराना होता है। इस प्रकिया में छात्रों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाने तथा आवेदन पत्रों को डाक से प्रेषित करने या व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को जमा कराने में यात्रा व्यय वहन करना पडता है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्रों को कम से कम समय एवं खर्चे पर वांछित दस्तावेज जारी किये जाने एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य निष्पादन हेतु पूर्वोक्त वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ऑन–लाईन आवेदन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। जिसके अन्तर्गत छात्रों द्वारा अलग से ट्रांजेक्शन चार्जेज, जो वर्तमान में राशि रू. 10 प्रति ट्रांजेक्शन है, वहन किया जायेगा। प्रस्तावित ऑन–लाईन आवेदन की

प्रक्रिया के कुशल संचालन हेतु वांछित सॉफ्टवेयर (एप्लीकेशन फार्म) तैयार किये जाने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी की सेवाएं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत लिया जाना अपेक्षित है। जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 0.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी।

ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा सॉफ्टवेयर में ऑन–लाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों का प्रिन्ट विश्वविद्यालय स्तर पर लेना होगा, ताकि उचित जाँच के पश्चात वांछित दस्तावेज जारी किये जावे। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को स्टेशनरी व प्रिटिंग व्यय वहन करने होंगे। अतएव, परीक्षा नियंत्रक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन प्रक्रिया को लागू करने तथा विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त प्रोसेंसिंग शुल्क राशि रू 50/– प्रति आवेदन लागू करने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–06 पृष्ठ संख्या 90 से 91** पर प्रस्तुत किये गये।

अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प : **समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्तावित ऑन–लाईन आवेदन की प्रक्रिया के कुशल संचालन हेतु वांछित सॉफ्टवेयर (एप्लीकेशन फार्म) तैयार किये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आउटसोर्स एजेन्सी की सेवाएं हायर किये जाने हेतु प्रथम दो वर्ष के लिए राशि रू. 1.00 लाख कार्यालय व्यय मद से वहन किये जाने तथा प्रस्तावानुसार छात्रों से निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त प्रोसेंसिंग शुल्क राशि रू 50/– प्रति आवेदन लिये जाने की अनुशंषा की गई।**

वि.स.क्र. 19.8 : पुनर्नामांकन हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में। (परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र व्यक्तिगत कारणों से अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। इनमें से कुछ छात्र अपना शेष पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए पुनर्नामांकन हेतु विश्वविद्यालय को आवेदन करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में वर्तमान में निर्धारित मूल नामांकन शुल्क के समान शुल्क लेकर पुनर्नामांकन कर दिया जाता है। पुनर्नामांकन के अन्तर्गत उसको पूर्व में जारी नामांकन नम्बर ही जारी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय को अनेक स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करनी होती है। अतएव, परीक्षा नियंत्रक द्वारा पुनर्नामांकन हेतु निम्नानुसार पुनर्नामांकन शुल्क का निर्धारण किये जाने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–07 पृष्ठ संख्या 92 से 93** पर प्रस्तुत किये गये :–

मद	वर्तमान शुल्क (प्रति छात्र)	प्रस्तावित शुल्क प्रति छात्र)
पुनर्नामांकन शुल्क	छात्र पर लागु नामांकन शुल्क :– (अ) अर्हकारी परीक्षा राजस्थान राज्य में स्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण – 350/– (ब) अर्हकारी परीक्षा केन्द्रीय बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण –500/– (स) अ एवं ब के अतिरिक्त अर्हकारी परीक्षा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण –700/– (द) अर्हकारी परीक्षा विदेश में स्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण –6000/–	छात्र पर लागु नामांकन शुल्क + रूपये 1000/–

		उक्त प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2019–20 से लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये।
संकल्प	:	**समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
वि.स.क्र. 19.9	:	**फुल टाइम पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्यनरत छात्रों हेतु स्वीकृत छात्रवृति दरों में वृद्धि करने के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स)**
		विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. अध्यादेश एवं विनियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय (यू.डी.) में वर्ष 2012–13 से पी.एच.डी. पाठ्यक्रम (फुल–टाईम एवं पार्ट–टाईम) संचालित है। 17वीं वित्त समिति के टेबल एजेण्डा 17.1 पर लिये गये निर्णय का प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक में अनुमोदन उपरांत डीन रिसर्च द्वारा निम्नांकित आशय के आदेश जारी किये गये: 1- Existing Scholarship for Ph.D (Full-time) Rs. 8000/-per month/per student is revised to Rs. 13000/- per month/per student with immediate effect. 2- Scholarship of Rs. 13000/- per month/per student shall be given from University funds to one Ph.D student in each M.Tech (Maximum 12 Students) discipline being offered in the University Department on the basis of merit. 3- Scholarship of Rs. 13000/- per month/ per student shall be given from TEQIP-III (UD) to remaining Full-Time Ph.D students of the University Departments. उक्त आदेशों के निरंतरता में कुलसचिव के आदेश कमांक 12443–60 दिनांक 05.12.2018 एवं आदेश कमांक 12462–79 दिनांक 05.12.2018 से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट में फुल टाइम पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के बैच 2015–16 से 2018–19 में प्रवेशित एवं अध्यनरत पी.एच.डी. छात्रों को विश्वविद्यालय कोष एवं टेक्यूप–III (यू.डी.) प्रोजेक्ट से राशि रू. 13000/– प्रतिमाह की दर से रिसर्च असिस्टेंटशिप अधिकतम 36 माह के लिये निम्नानुसार दिये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी की गई।

क.सं.	बैच	विश्वविद्यालय कोष से अनुमोदित रिसर्च असिस्टेंटशिप के छात्रों की संख्या	टेक्यूप–III (यू.डी.) प्रोजेक्ट से अनुमोदित रिसर्च असिस्टेंटशिप के छात्रों की संख्या
1.	2015–16	1	–
2.	2016–17	5	2
3.	2017–18	4	5
4.	2018–19	8	3
	कुल योग	**18 छात्र**	**10 छात्र**

डीन फेकल्टी अफेयर्स एवं समन्वयक टेक्यूप–III (यू.डी.) के द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्टेट प्रोजेक्ट फेसीलिटेशन यूनिट (एस.पी.एफ.यू.) के नोटिफिकेशन कमांक एफ.10(4)टी.ई./2011/एस.पी.एफ.यू./228–237 दिनांक 05.10.2016 से टेक्यूप–II प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पी.एच.डी. छात्रों के लिए टीचिंग एवं रिसर्च असिस्टेंटशिप राशि रू. 25000/– प्रतिमाह स्वीकृत की गई है।

टेक्यूप–III प्रोजेक्ट (01 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2020) के अन्तर्गत पी.एच.डी. छात्रों को रिसर्च असिस्टेंटशिप सब–कम्पोनेन्ट 1.1 एण्ड 1.3 के

		अन्तर्गत दिया जाना अनुमत है, इस हेतु टेक्यूप–III प्रोजेक्ट में राशि रू. 100 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है, परन्तु टेक्यूप–III के अन्तर्गत देय रिसर्च असिस्टेंटशिप की राशि का अलग से उल्लेख नहीं है। डीन फेकल्टी अफेयर्स एवं समन्वयक टेक्यूप–III (यू.डी.) द्वारा भारत सरकार के एम.एच.आर.डी. मत्रांलय, अन्य राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालयों द्वारा फुल टाइम पी.एच.डी. छात्रों को राशि रू. 25000/– प्रतिमाह की दर से रिसर्च असिस्टेंटशिप स्वीकृत किये जाने सम्बंधी आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए युनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट में अध्ययनरत फुल टाईम पी.एच.डी. छात्रों को वर्तमान में स्वीकृत रिसर्च असिस्टेन्टशिप राशि रूपये 13000/– प्रति माह प्रति छात्र को राशि रू. 25000/– किये जाने के निम्नांकित प्रस्ताव **परिशिष्ट–8 पृष्ठ संख्या 94 से 107** पर प्रस्तुत किये गयेः– "It is proposed that research assistantship/scholarship/university fellowship amount be increased from Rs. 13000/- per month/per student for Ph.D. (full time) scholars to Rs. 25000/- per month/per student in University Departments as under, applicable for 2019-20, 2018-19, 2017-18 & 2016-17 batches; a. For one Ph.D (full time) scholar in each M.Tech specialization (or scholars equal to no. of specialization, if in any department in any specialization there is no admission) based on RTUDAT merit from RTU for 36 months & beyond period extendable under provisions of Ph.D regulation R.2.2. b. For remaining Ph.D (full time) scholars not covered in (a) above, from UD TEQIP-III grant till TEQIP-III "Project duration" or "36 months & beyond period extendable under the provision of Ph.D. regulation R.2.2, whichever is earlier. **उक्त प्रस्तावानुसार रिसर्च असिस्टेन्टशिप स्वीकृत करने की स्थिति में पूर्वोक्त तालिका में अंकित किये गये छात्रों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय कोष पर लगभग राशि रू. 26 लाख वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पडेगा तथा टेक्यूप यू.डी. प्रोजेक्ट ग्रान्ट से लगभग राशि रू. 15 लाख वार्षिक अतिरिक्त व्यय वहन करना पडेगा।** अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–** 1. **On subsequent approval of the Board of Management, the existing Scholarship for Ph.D (Full-time) Rs. 13000/-per month/per student shall be revised to Rs. 25000/- per month/per student from the date of issuing the sanction order. Arrear of scholarship shall not be allowed.** 2. **Scholarship of Rs. 25000/- per month/per student shall be given from University funds to one Ph.D student in each M.Tech (Maximum 12**

Students) discipline being offered in the University Department on the basis of merit.

3. **Scholarship of Rs. 25000/- per month/per student shall be given from TEQIP-III (UD) project to the remaining Full-Time Ph.D students of the University Departments till the TEQIP-III (UD) project duration and funds are available.**
4. **The above scholarships/research assistantship will be given on following terms and conditions:-**
   (i) **The Ph.D Students receving scholarships/research assistantship will be required to devote 8-10 hours per week for teaching /research assistantship.**
   (ii) **Scholarships/research assistantship will be provided every month after receving the satisfactory report form supervisor through respective head of department as per provisions laid down in PhD. Regulations of university.**

वि.स.क्र. 19.10 : **विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावासों हेतु आवश्यक कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं नए छात्रावास (आर्यभट्ट) हेतु मैस उपकरण/सामग्री उपापन हेतु राशि रू. 44.00 लाख के बजट प्रावधान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स/चीफ वार्डन)**

विश्वविद्यालय परिसर में छात्र एवं छात्राओं के आवास हेतु निम्नानुसार कुल 07 छात्रावास स्थित है। जिसमें से एक नए छात्रावास (आर्यभट्ट) का उपयोग इसी शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में एम.टेक एवं पी.एच.डी. विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है।

S. No.	Hostel Number	Hostel Name	Capacity
1	Boys Hostel No. 1	Vishvesarayya Bhawan	108
2	Boys Hostel No. 2	J.C Bose Bhawan	108
3	Boys Hostel No. 3	Vikram Sarabhai Bhawan	108
4	Boys Hostel No. 4	Bhaskar Bhawan	201
5	Boys Hostel No. 5	Arya Bhatt Bhawan	319
6	Girls Hostel (Old)	Meera Bhawan	112
7	Girls Hostel (New)	Gargi Bhawan	156

चीफ वार्डन द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने छात्रावासों में काफी समय से मरम्मत कार्य नहीं करवाये गये हैं। अतएव, पुराने छात्रावासों में लाईट फिटिंग, पानी की लाईनों एवं कमरों के पेन्ट इत्यादि मरम्मत कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही, उपरोक्त छात्रावासों में स्थापित कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार के फर्नीचर आईटम्स, कमप्युटर, पी.ए. सिस्टम एवं अन्य ईक्यूपमेन्ट्स का उपापन प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त नए छात्रावास (आर्यभट्ट) के रसोईघर हेतु आधूनिक मैस उपकरण/सामग्री का भी शीघ्र उपापन किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

चीफ वार्डन द्वारा उपरोक्त मदों पर लगभग 44.00 लाख रूपये व्यय होने के अनुमान प्रस्तुत किये गये। जिसका मदवार विवरण **परिशिष्ट–9 पृष्ठ**

संख्या 108 से 111 पर संलग्न किया गया।
उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आवश्यक कार्यालय उपकरणों, कम्पयूटर्स, फर्नीचर आईट्म्स, एवं नए छात्रावास हेतु मैस उपकरण/सामग्री का राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नांकित ऑब्जेक्ट कोड/ऑब्जेक्ट हेड के समक्ष आवंटित बजट राशि से उपापन किये जाने की अनुशंषा की गईः–

Object Code	Object Head	Sanctioned Budget 2019-20	Proposed Items for hostels	Estimated Cost of the proposed items
21	**MAINTENANCE AND REPAIRS:-** RTU Buildings, Hostels, Library, Academic Block, Staff Quarters, Guest House Buildings, Roads, Laboratories & Maintenance & Fuel of DG Set, Laying of Sports Track etc.	Rs. 200 Lacks	Painting work of Hostel, Light Maintenance, Water line fitting, Refitting of Electrical wrining in old girl hostel & mess, Carpenter work etc.	Rs. 17.00 lacks
05	**Purchase of all type of Furniture:-** (Student/Faculty/Hostel/ Office furniture)	Rs. 150 Lacks	Almira, Office Table. Computer Table with Chair, Office Chair, Visitor Chair, Desert cooler, Carpets, Mess Utensils with Modern facilities for new Hostel	Rs. 8.70 Lcaks
18.5	**Office Equipments**	Rs. 20.00 Lacks	Water Purifier, T.V. (Mess and Common room), Secuirty Camera, PA System, Exhaust Fan, Mosquito Repeller, Ceiling Fan, LED Tube Light	Rs. 15.20 Lacks
18.1	**Computer, Laptops, Server, Networking Strong Server & WiFi**	Rs. 70 Lacks	Computer Desktop, Wi-fi connection,	Rs. 3.10 lacks
				Rs. 44.00 Lacks

उक्त उपापन की कार्यवाही हेतु डीन फेकल्टी अफेयर्स कार्यालय अधिकृत होगा।

वि.स.क्र. 19.11 : **प्लेसमेंट गतिविधियों के दौरान बी.टेक./एम.टेक./एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को Volunteers के रूप में कार्य करने के दौरान अल्पाहार/भोजन की स्वीकृति के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स)**

विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ द्वारा बी.टेक./एम.टेक./एम.बी.ए. के छात्रों/छात्राओं को विभिन्न

कम्पनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाये जाने हेतु समय समय पर गतिविधियां संचालित की जाती है। इन गतिविधियों में कार्यो को समयानुसार सुचारू एवं व्यवस्थित निष्पादन किये जाने के क्रम में बी.टेक./एम.टेक./एम.बी.ए. के कुछ छात्रों को Volunteers के रूप में कार्यो हेतु लगाया जाता है। ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमेन द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त गतिविधियां प्रातःकाल से शुरू होकर देर रात्रि तक या दूसरे दिन तक निष्पादित हो पाती है। जिसके क्रम में संबंधित छात्रों को Refreshment, Lunch/Dinner की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नंकित दरों को अनुमोदित किये जाने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–10 पृष्ठ संख्या 112 से 113** पर प्रस्तुत किये गयेः–

Number of Volunteers	Proposed Expenses
5% Volunteers out of appear/registered candidates in campus drive	1 Refreshment Rs. 20/- per candidates 2 Lunch Rs. 120/- per candidates 3 Dinner Rs 120/- per candidates

उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति की 17वीं बैठक में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत प्रस्ताव स्थगित करते हुए ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमेन को आवंटित स्थायी पेशगी राशि से माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंषा की गयी थी।

ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमेन द्वारा पुनः उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : **समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

वि.स.क्र. 19.12 : **सिंगल सिटेड छात्रावास कक्षों के लिए छात्रावास शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स/चीफ वार्डन)**

वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों से निम्नानुसार छात्रावास शुल्क लिये जाने के प्रावधान लागू है। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा प्रवेश के समय राशि रू. 1000/– प्रति छात्र हॉस्टल कॉशन मनी के रूप में जमा किये जाते हैं। जिसका रिफण्ड सम्बन्धित छात्र/छात्रा को छात्रावास खाली करने के उपरान्त नो–डयूज प्रस्तुत करने पर किया जाता है।

Type of Room	Room Rent	Water Charges	Light Charges	Total per month	Total per year
Double seated	**200/-**	**55/-**	**400/-**	**655/-**	**7860/-**
Triple seated	**150/-**	**55/-**	**400/-**	**715/-**	**7260/-**

चीफ वार्डन द्वारा डीन फेकल्टी अफेयर्स के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि हॉस्टल नं. 05 (आर्यभट्ट भवन) में सभी कक्ष सिंगल सिटेड विद अटेच बाथरूम बनाए गए हैं। परन्तु वर्तमान में सिंगल सिटेड कक्ष हेतु छात्रावास शुल्क निर्धारित नहीं है। अतएव, उनके द्वारा सिंगल सिटेड कक्ष के लिए निम्नानुसार शुल्क लागू करने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–11 पृष्ठ संख्या 114 से 117** पर प्रस्तुत किये गये हैं :–

Type of Room	Room Rent	Water Charges	Light Charges	Total per month	Total per year
Single seated	300/-	55/-	400/-	755/-	9060/-

अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये।

संकल्प : **समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्तावित छात्रावास शुल्क अनुमोदित किये गये। उक्त छात्रावास शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020–21 से लागू होंगे।**

वि.स.क्र. 19.13 : **एन.बी.ए. द्वारा एक्रिडियेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं से अतिरिक्त राशि रू. 3000/– प्रतिवर्ष लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

(डीन फेकल्टी अफेयर्स/चीफ प्रोक्टर)

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 18(5)तशि/2004/26 जुलाई 2016 से निर्धारित वार्षिक अंतरिम शुल्क संरचना के अनुसार M.E./M.Tech/B.E./B.Tech/M.Arch/B.Arch/BHMCT पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम वार्षिक शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fees) राशि रू. 70000/– प्रति छात्र निर्धारित की गई है। इसी आदेश में यह वर्णित है कि पूवोक्त निर्धारित अंतरिम शुल्क संरचना के अतिरिक्त राशि रू. 3000/– प्रति वर्ष ऐसे छात्र–छात्राओं से लिया जाएगा जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडियेशन (एन.बी.ए.) द्वारा एक्रिडियेटेड ब्रान्च में प्रवेश लेते है।

चीफ प्रोक्टर/डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा अवगता कराया गया कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट में संचालित बी.टेक. इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को एन.बी.ए. द्वारा उनके पत्र क्रमांक 32–36/2014–एन.बी.ए. दिनांक 05 जुलाई 2019 से शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2021–22 (30.06. 2022 तक) की अवधि के लिए एक्रिडियेशन दिया गया है। अतः चीफ प्रोक्टर/डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा राज्य सरकार के पूर्वोक्त आदेश की अनुपालना में **परिशिष्ट–12 पृष्ठ संख्या 118 से 126** पर प्रस्तावित किया गया कि :

1. यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट के बी.टेक. इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2021–22 की अवधि में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्र–छात्राओं (1^{st} Year से 4^{th} Year) से अतिरिक्त शुल्क राशि रू. 3000/– प्रति वर्ष वसूल किया जावे।
2. यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट में संचालित अन्य बी.टेक./एम.टेक. पाठ्यक्रमों को एन.बी.ए. से एक्रिडियेशन मिलने पर एक्रिडियेशन की अवधि में प्रवेशित/अध्ययनरत संबंधित ब्रांच के छात्र–छात्राओं पर अतिरिक्त शुल्क राशि रू. 3000/– प्रति वर्ष लागू किया जावे।
3. AICTE की विशेष स्कीम के तहत निर्धन/अल्प आय वर्ग के परिवारों से आने वाले छात्रों, जो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (TFWS) केटेगिरी में प्रवेशित/अध्ययनरत हैं, पर उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क राशि रू. 3000/– लागू नहीं किया जावे।

		4. अतिरिक्त शुल्क की वसूली ट्यूशन फीस मद में की जावेगी। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना में प्रस्तावानुसार एन.बी.ए. से एक्रिडियेटेड पाठ्यक्रम बी.टेक. इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में 1st Year से 4th Year में प्रवेशित/अध्ययनरत् छात्रों (ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (TFWS) केटेगिरी में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों को छोडकर) से अतिरिक्त शुल्क राशि रू. 3000/- प्रतिवर्ष/प्रति छात्र वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।** **साथ ही, भविष्य में अन्य बी.टेक./एम.टेक. पाठ्यक्रमों को एन.बी.ए. से एक्रिडियेशन मिलने पर एक्रिडियेशन की अवधि में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्र-छात्राओं (ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (TFWS) केटेगिरी में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों को छोडकर) पर अतिरिक्त शुल्क राशि रू. 3000/- प्रति वर्ष लागू किये जाने की अनुशंषा की गई।**
वि.स.क्र. 19.14		**कर्मचारी कल्याण कोष सोसायटी में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में वृद्वि के संबंध में। (अध्यक्ष, स्टॉफ वेलफेयर फण्ड/सदस्य सचिव)**
		15वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 15.16 पर लिये गये निर्णय का प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन उपरान्त कर्मचारी कल्याण कोष सोसायटी के आवश्यक कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु नियुक्त कार्मिकों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान कर्मचारी कल्याण कोष से किया जा रहा है। 1. श्री जे.पी. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी - राशि रू. 1500/- रू. प्रतिमाह 2. श्री के.के. जैन, सूचना सहायक - राशि रू. 1500/- रू. प्रतिमाह 3. शिशुपाल (सहायक कर्मचारी)- राशि रू. 500/- प्रतिमाह सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष स्टॉफ वेलफेयर फण्ड के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त कार्मिकों के द्वारा उनको स्टॉफ वेलफेयर फण्ड सोसायटी से सम्बंधित दायित्वों/कार्यो का कुशलतापूर्वक सम्पादन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समय-समय पर बैठकें आहूत कराना, कार्यवाही विवरण तैयार करना, लिये गये निर्णयानुसार कर्मचारियों को स्वीकृत ऋण इत्यादि के आदेश जारी करना, जारी किये गये ऋणों की वसूली एवं उनका लेखांकन करना, अंकेक्षण कार्य करवाना इत्यादि सम्मिलित हैं। वर्तमान में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत आदेश कमांक एफ(3)/वित्त एवं लेखा/133/2019-20 /1385-90 दिनांक 03.09.2019 जारी कर एक लेखा कार्मिक (AAO-II) (उक्त कार्मिकों के अतिरिक्त) को उक्त सोसायटी के लेखा सम्बंधी कार्यों के निष्पादन हेतु अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष स्टॉफ वेलफेयर फण्ड के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि उक्त मानदेय दरों का निर्धारण लगभग 5 वर्ष पूर्व किया गया था

		और इन्हें संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अतः उनके द्वारा अनुभाग अधिकारी एवं सूचना सहायक के लिए राशि रू. 5000/–प्रतिमाह तथा सहायक कर्मचारी के लिए राशि रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय संशोधित किये जाने के प्रस्ताव दिये गये हैं तथा वर्तमान में लगाये गये अतिरिक्त लेखा कार्मिक को भी तद्नुसार समान मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–13 पृष्ठ संख्या 127 से 129** पर प्रस्तुत किये गये। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रस्ताव स्थगित करने के निर्देश दिये गये।**
वि.स.क्र. 19.15		**वित्त विभाग (जी. एण्ड टी. डिविजन), राजस्थान सरकार द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए.आर.) में समय–समय पर किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में। (सम्पदा अधिकारी)**
		वित्त विभाग (जी. एण्ड टी. डिविजन), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.2(4)एफडी/पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए.आर./99 पार्ट–II दिनांक 08.03.2017, 22.03.2018, 23.04.2018 एवं 11.09.2018 से समय–समय पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–द्वितीय की Appendix XIII (SOP) में संशोधन किये गये हैं। संपदा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में जारी पूर्वोक्त संशोधनों के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत वांछित कार्यवाहियां सम्पदा विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही हैं। अतः सम्पदा अधिकारी द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–द्वितीय की Appendix XIII (SOP) में राज्य सरकार द्वार समय–समय पर किये गये पूर्वोक्त संशोधनों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने के प्रस्ताव **परिशिष्ट–14 पृष्ठ संख्या 130 से 167 पर** प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा भविष्य में समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन स्वतः ही विश्वविद्यालय में प्रभावी होंगे। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा विचार–विमर्श कर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पी. डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए.आर.) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही, सम्पदा अधिकारी को बिल्डिंग वर्क्स कमेटी का गठन किये जाने के प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा भविष्य में निर्माण/संकर्म सम्बंधी प्रस्ताव बिल्डिंग वर्क्स कमेटी के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। समस्त निर्णय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरांत लागू होंगे।**

वि.स.क्र. 19.16		**कुलपति आवास/कार्यालय के लिए सुरक्षा सहायक एवं हेल्पर उपलब्ध करवाने के संबंध में। (सम्पदा अधिकारी)**
		15वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 15.17 पर सम्पदा अधिकारी द्वारा माननीय कुलपति महोदय के आवास/कार्यालय हेतु आवश्यक दो सुरक्षा सहायक न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर लगाने की स्वीकृति दी गई थी। संपदा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर कुशल सुरक्षा सहायक उपलब्ध होने में परेशानी आती है। अतः वर्तमान आवश्यकता के आधार पर कुलपति महोदय के आवास हेतु दो सुरक्षा सहायक की सेवाएं होमगार्ड कार्यालय, कोटा से लेने पत्र क्रमांक 8136–42 दिनांक 05.09.2019 जारी किया गया है। जिसके अनुसार सुरक्षा सहायक कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दरों (यथा संशोधित) एवं शर्तो के अनुसार भुगतान किया जायेगा। उक्त आदेश/पत्रांक समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा अतिरिक्त तीन हैल्पर निजी एजेन्सी/सरकारी/अर्धसरकारी संस्था के माध्यम से उपापन किये जाने के प्रस्ताव समिति के समक्ष **परिशिष्ट–15 पृष्ठ संख्या 168 से 169** पर प्रस्तुत किये गये। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ, पुष्टि एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय कुलपति महोदय के आवास हेतु दो सुरक्षा सहायक की सेवाएं होमगार्ड कार्यालय, कोटा से लेने हेतु जारी पत्रांक 8136–42 दिनांक 05.09.2019 की पुष्टि की गई तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन हायर किये जाने के संबंध में जारी आदेशों/परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वांछित अतिरिक्त तीन हैल्परों का उपापन संविदा एजेन्सी के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये।**
वि.स.टी. 19.1		**विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में। (सम्पदा अधिकारी)**
		संपदा अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में ग्रिन एनर्जी के 300 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसी क्रम में माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार अन्य स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट विश्वविद्यालय में ओर लगाया जा सकता है। जिसके लिए सक्षम स्तर पर अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। संपदा अधिकारी एवं गठित कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अतिरिक्त 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के उपापन पर लगभग

		राशि 45 रू. प्रति किलोवाट की दर से अनुमानित राशि रू.90.00 लाख का व्यय होने की संभावना है। यह कार्य ऐजेन्सी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः समिति के समक्ष वांछित बजट प्रावधान रखे जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा 18वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 18.4 में लिये गये निर्णय के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत बनाये गये रिजर्व/कोष में से प्रस्तावित सोलर पावर प्लांट हेतु राशि रू. 90.00 लाख का व्यय किये जाने की अनुशंषा की गई।**
वि.स.टी. 19.2		**चीफ प्रोक्टर एवं प्रोक्टर अलाउंस में वृद्वि किये जाने के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स/चीफ प्रोक्टर)**
		डीन फेकल्टी अफेयर्स/चीफ प्रोक्टर द्वारा चीफ प्रोक्टर एवं प्रोक्टर्स को वर्तमान में अतिरिक्त कार्यो के लिये स्वीकृत भत्ता राशि को चीफ वार्डन एवं वार्डन के समकक्ष क्रमशः राशि रू. 2000 प्रतिमाह एवं 1000 प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। वर्तमान में 1 चीफ प्रोक्टर एवं 6 प्रोक्टर्स कार्यरत हैं। प्रस्तावित दरों पर लगभग राशि रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष खर्च होंगे। अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
वि.स.टी. 19.3(a)		**सम्बद्व महाविद्यालयों द्वारा द्वितीय पारी की प्रवेश क्षमता को प्रथम पारी में रूपांतरण करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की फीस निर्धारण किये जाने के संबंध में। (डीन अकादमिक अफेयर्स)**
		डीन अकादमिक अफेयर्स द्वारा अवगत कराया गया कि 50वीं बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन के बिन्दु संख्या 59.6.2 पर लिये गये निर्णय का माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत आदेश क्रमांक रातवि/अका./एफ (17) 59वीं बीओआई/18/1314–17 दिनांक 02.02.2018 जारी कर द्वितीय पारी की छात्र प्रवेश क्षमता को प्रथम पारी में रूपांतरण करने हेतु सम्बद्व महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु फीस का निर्धारण किया गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अप्रूवल प्रोससे हेण्डबुक (वर्ष 2019–20) में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत महाविद्यालयों से सीधे ही आवेदन आमंत्रित कर द्वितीय पारी के कोर्सेज का विलयन/पृथक कोर्स के रूप में प्रथम पारी में विलयन/पृथक से कोर्सज के रूप में शामिल किये जाने का प्रावधान है। डीन अकादमिक द्वारा द्वितीय पारी का प्रथम पारी में रूपांतरण किये जाने की स्थिति में निम्नांकित शुल्क लागू किये जाने के प्रस्ताव दिये गये।

		1. द्वितीय पारी के पाठ्यक्रम के कोर्सेज का प्रथम पारी के पाठ्यक्रम के उसी कोर्स में विलयन किये जाने पर Intake Variation की फीस विश्वविद्यालय के आदेश संख्या एफ(3) लेखा/132/14वीं एफसी/2015–16/1510–35 दिनांक 21.07.2015 के अन्तर्गत सारणी A (Affiliation Fee) की क्रम संख्या (6) पर निर्धारित ***Rs. 40000/- for any variation in intake in existing programe (increase/decrease) up to 30 seats or fraction thereof*** शुल्क लागू किये जावे। 2. द्वितीय पारी के पाठ्यक्रम के कोर्सेज का प्रथम पारी के पाठयक्रम के कोर्सेज में (संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त) पृथक रूप से शामिल किये जाने पर विश्वविद्यालय के आदेश संख्या एफ(3) लेखा/132/14वीं एफसी/2015–16/1510–35 दिनांक 21.07.2015 के अन्तर्गत सारणी A (Affiliation Fee) की क्रम संख्या (1) पर निर्धारित सम्बद्वता शुल्क ***Rs. 100000/- for first course (branch) of each programme and Rs. 50000/- for every subsequent course (branch)*** लागू ~~किये~~ जावे। *ऐसी स्थिति में प्रथम पारी के पाठ्यक्रम में द्वितीय पारी के पाठ्यक्रम को शामिल मानते हुए कुल पाठ्यक्रमों की संख्या निर्धारित होगी। प्रथम पाठ्यक्रम के लिए राशि रूपये 100000/– शेष पाठ्यक्रमों के लिए राशि रूपये 50000/– प्रति पाठ्यक्रम लागू होगी।*
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
वि.स.टी. 19.3(b)		**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्व महाविद्यालयों को अकेडमिक ऑटोनोमी दिये जाने के आवेदन को अग्रेषित करने हेतु फीस निर्धारण किये जाने के संबंध में। (डीन अकादमिक अफेयर्स)**
		डीन अकादमिक अफेयर्स द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से अग्रेषित किये जाते रहे हैं। वर्तमान में यू.जी.सी. व एन.पी.आई.यू. द्वारा सम्बद्व महाविद्यालयों को ऑटोनोमी हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्व महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत अकेडमिक ऑटोनोमी के आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने के पेटे माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत राशि रू. 1,00,000/– प्रति आवेदन लिया गया है। परन्तु विश्वविद्यालय शुल्क नियमों के अंतर्गत उपरोक्त फीस राशि के प्रावधान नहीं हैं। अतः डीन अकादमिक द्वारा यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 2(f) के अन्तर्गत महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत अकादमिक ऑटोनोमी के आवेदन प्रपत्रों

		को विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित करने के पेटे शुल्क राशि रू. 1,00,000/— प्रति आवेदन लागू किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
संकल्प	:	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
वि.स.टी. 19.4		**पी.एफ. प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि के सम्बंध में। (वित्त नियंत्रक/कुलसचिव)**
		पी.एफ. प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019 में निम्नांकित बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष पी.एफ. प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदन किया गयाः 1. विश्वविद्यालय कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का डी.एच.एफ.एल.एवं पी.एन.बी. एच.एफ.एल. की सावधि जमाओं में किये गये निवेश का प्री—मेच्योरिटी भुगतान प्राप्त किया जाना। 2. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 02.07.2018 के अंतर्गत जारी दिशा—निर्देशों की पालना में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्मिकों की भविष्य निधि राशि को राज्य सरकार के पी. डी. खाते (ब्याज सहित) में जमा कराया जाना। उपरोक्त निर्णयों के क्रम में सम्बंधित बैंकिग संस्थानों (डी.एच.एफ.एल.एवं पी.एन.बी. एच.एफ.एल.) को क्रमशः पत्र क्रमांक 7898—900 दिनांक 29.08.2019, 7901—03 दिनांक 29.08.2019 एवं पत्र क्रमांक 7904 दिनांक 29.08.2019 जारी किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार से पी.डी. खाते (ब्याज सहित) खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय के पत्रांक 7904 दिनांक 29.08.2019 के क्रम में पी.एन.बी. एच.एफ.एल. द्वारा सावधि जमाओं का प्रीमेच्योरिटी भुगतान विश्वविद्यालय के पी.एफ. खाते में दिनांक 09.09.2019 को जमा कराया जा चुका है तथापि डी.एच.एफ.एल द्वारा प्रीमेच्योरिटी भुगतान आदिनांक अपेक्षित है। अतः पी.एफ. प्रबन्धन समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं उनकी अनुपालना समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गई।
संकल्प	:	**समिति द्वारा पी.एफ. प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019 में लिये गये निर्णयों तथा उनकी अनुपालना में की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई। साथ ही, डी.एच.एफ.एल में निवेश की गई राशि रू. 8.00 करोड का शीघ—अतिशीघ्र प्रीमेच्योरिटी भुगतान प्राप्त करने के निर्देश भी दिये गये।**

उपर्युक्त कार्यवाही विवरण माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते हैं।

(प्रो. आर. ए. गुप्ता)
कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा